राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/2086/2025	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	P2/1234/2025	1(a)	जबलपुर	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/1105/2025	1(a)	कटनी	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
4.	P2/1406/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
5.	P2/1407/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
6.	P2/1363/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
7.	P2/1280/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	9262/2022	5(f)	इन्दौर	Pharmaceutical Ingredients	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
9.	1915/2014	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
10.	P2/1012/2025	1(a)	छतरपुर	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
11.	P2/2101/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 का कार्यवाही विवरण

12.	P2/2100/2025	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
13.	P2/1753/2025	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/1107/2025	1(a)	मैहर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1183/2025	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/1819/2025	1(a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
17.	11010/2023	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/1025/2025	3(b)	गुना	Grinding Unit	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19.	6408/2019	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
20.	11323/2024	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
21.	9391/2022	1(a)	अनूपपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
22.	8210/2021	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
23.	2022/2014	1(a)	बडवानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No. SIA/MP/MIN/553340/2025, Case No. P2/2086/2025Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.9 ha., for Production Capacity of 319731.5 cum per annum making for M.Sand & Gitti and Overburden- 14979 cum per annum, at Khasra No. 26 (Part), 27 & 28 (part), Village- Kolmuhi, Tehsil- Kundam, District- Jabalpur (M.P.) by Shri Sharad Kumar Shivhare, Proprietor, M/s Sharad Shivhare, lala mohalla village Dhuma District seoni (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **851वी बैठक दिनांक 12.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 757–58 दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से 05 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता दिनांक 19.01.2030 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 12/06/2024 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेंचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. Proposal No.SIA/MP/MIN/554615/2025, Case No. P2/1234/2025 Prior Environment Clearance for Laterite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., for Production Capacity of Laterite – 1,40,130 TPA and OB/Waste– 21396 TPA, at Khasra No. 1009, Village Agariya, Tehsil- Sihora, Dist. Jabalpur (M.P.) by Shri Ajay Singh, Proprietor, Maa Shadra Mining & Chemicals Works, Shop No. 3, Bengali Club Market, Karamchand Chowk, Jabalpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **851वी बैठक दिनांक 12.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर द्वारा निष्पादित पूरक लीज अनुबंध दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से दिनांक 26.11.2056 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट एवं पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. ProposalNo.SIA/MP/MIN/554316/2025, Case No. P2/1105/2025Prior Environment Clearance for Limestone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.42 ha., for production capacity of Expansion from 100000 TPA to 199950 TPA, at Khasra No. 54, 55, 56, 60, 61, Village- Jamuwani Khurd, Tehsil- Vijayraghavgarh, District Katni (M.P.) by Shri Satrughan Prasad Tiwari, Authorized Signatory, SNS Minerals Private Limited, Sunderson house NH 7 Rewa Road Maihar Satna M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" ..... The Committee have discussed the case and reviewed EIA report and CCR . The EIA report for expansion and CCR for compliance of EC condition for existing capacity reveals that PP is compliying the EC conditions for present production capacity, however the proposed Capacity Expansion from 100000 TPA to 199950 TPA no additional mitigative measures are proposed in the EIA/EMP report. It is evident that mining activities generates particulate emission and noise that can be minimized only through plantation, water sprinkling etc i.e. limited pollution control measures are available. In this case the proposed production is just double of the existing production capacity with no extra pollution mitigative measures/plans etc.

In view of above facts, the committee is of considered opinion not to recommend case for proposed expansion from 100000 TPA to 199950 TPA, submitted for necessary orders at SEIAA end.'

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 26.01.2025 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष क्षमता विस्तार से होने वाले अतिरिक्त प्रदूषण, शोर एवं पानी छिड़काव आदि के संबंध में SEAC की सभी शर्तें स्वीकार है किन्तु SEAC द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त जानकारी न चाहते हुए सीधे ही प्रकरण को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। जबकि इसी तरह के अन्य क्षमता विस्तार के प्रकरणों में SEAC द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है किन्तु इस इस प्रकरण को Not recommende किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. Proposal No. SIA/MP/MIN/551635/2025, Case No. P2/1406/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 4.00 ha., for Production Capacity of 28121 M3 / year, at Khasra No. 237, 238, 239 P, Village Malikhedi, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.) by M/s G. S. Minerals, E-13, BDA Salaiya, Bhopal (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **853वी बैठक दिनांक 16.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में लीज हस्तांतरण आदेश की प्रति एवं लीज की वैधता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त खदान कितनी अवधि के लिये स्वीकृत है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. Proposal No. SIA/MP/MIN/551588/2025, Case No. P2/1407/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 4.00 ha., for production capacity of 12825 M3 / year, at khasra no. 240 P, Village Malikhedi, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.) by M/s G. S. Minerals, E-13, BDA Salaiya, Bhopal(MP) 462026

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **853वी बैठक दिनांक 16.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में लीज हस्तांतरण आदेश की प्रति एवं लीज की वैधता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त खदान कितनी अवधि के लिये स्वीकृत है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. Proposal No. SIA/MP/MIN/551260/2025, Case No. P2/1363/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 4.00 ha. for Production Capacity of 21118 M3 / year, at Khasra No. 211, 212 P, Village Malikhedi, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.) by M/s G. S. Minerals, E-13, BDA Salaiya, Bhopal (MP) 462026

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **853वी बैठक दिनांक 16.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में लीज हस्तांतरण आदेश की प्रति एवं लीज की वैधता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त खदान कितनी अवधि के लिये स्वीकृत है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. Proposal No. SIA/MP/MIN/551332/2025, Case No. P2/1280/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 4.00 ha. for Production Capacity of 44688 M3 / year, at Khasra No. 211, 240 P, Village Malikhedi, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.) by M/s G. S. Minerals, E-13, BDA Salaiya, Bhopal (MP) 462026

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **853वी बैठक दिनांक 16.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 853वी बैठक दिनांक 16.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 326 दिनांक 19.02.2024 के माध्यम से दिनांक 23.01.2028 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.01.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

8. **Proposal No. SIA/MP/IND3/534239/2025; Case No 9262/2022 Transfer of Environment Clearance from M/s. Symbiotec Lifesciences Pvt. Ltd. to M/S Symbiotec Zenfold Private Limited Manufacturing of Bulk drugs/active Pharmaceutical ingredients (Steroids/Hormones/General drugs like vitamins, antibiotics, antifungal, antiviral, antiparasitic etc.)/drug intermediates/chemicals / fine chemicals at 67 & 89, DMIC, Vikram Udyogpuri – Tehsil - Narwar, Distt. - Indore (M.P.) - 453331. Land Area - 12.5816 Ha., Product & Capacity Bulk Drugs and Intermediates - 1260 TPA, (located within notified industrial area) by Shri Sasi M.N., General Manager Administration, M/s Symbiotec Zenfold Private Limited, Add. 385/2, Pigdamber, Rau, Indore (M.P.) 453331.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **853**वी बैठक दिनांक **16.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण किया गया। प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाए–

1. **प्रकरण में प्रस्तावित बदलाव से संबंधित एग्रीमेंट एवं Legal दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की जावें।**
2. **पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की अद्यतन एवं सत्यापित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण पुनः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे एवं SEAC द्वारा प्रकरण में नियमानुसार Appraisal किया जाकर स्पष्ट अभिमत (Recommended or Not recommended) के साथ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को भेजा जाये

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/551802/2025, Case No. Case No. - 1915/2014Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for Production Capacity of 2,500 Cub meters/year, at khasra no. 294, Village Karaunda, Tehsil Chandia, District Umaria (M.P.) by Shri Naim Mohammad, Mohanpura District-Umria (M.P.) – 484661 regarding transfer of EC in the name of Shri Rakesh Singh Baghel, Proprietor of Trimurti Stone Crusher, Village - Kari Mati, Halka Mahroi, Tehsil - Bandhavgarh, District - Umaria (M.P.) - 484661.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **853वी बैठक दिनांक 16.12.2025** में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 843वी बैठक दिनांक 10.11.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri Naim Mohammad, Mohanpura District-Umria (M.P.) – 484661** के नाम **Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for Production Capacity of 2,500 Cub meters/year, at khasra no. 294, Village Karaunda, Tehsil Chandia, District Umaria (M.P.)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Shri Rakesh Singh Baghel, Proprietor of Trimurti Stone Crusher, Village - Kari Mati, Halka Mahroi, Tehsil - Bandhavgarh, District - Umaria (M.P.) - 484661** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 2815 दिनांक 03.03.2015 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उमरिया का लीज हस्तांतरण आदेश क. 1424 दिनांक 06.10.2023 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 12.07.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/521377/2025, Case No. P2/1012/2024 Prior Environment Clearance for Granite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 24.5 ha., for Production Capacity of 36,688 cum per annum, at Khasra No. 587, Village Madwa, Tehsil Lovekushnagar & District Chhatarpur (M.P.) by M/s Kisan Mineral Private Ltd, Partner Shri Vinod Kumar Khedia, R/o Khedia Bhawan, P.O. Bijuri District- Anuppur (MP) 484440.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 853वी बैठक दिनांक 16.12.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" ..... The committee discussed the query reply submitted by PP wherein found that TOR points are not properly addressd inspite of repeated ADS. Undertaking for coordinates is not supported by mining authority even after ADS dt 25.03.2025 and dt 24.06.2025. The proposed amalgamation of existing 06 mines will sacrifiy the common barrier zone and plantation. There is no OM for such cases where total lease area is unchanged but mineable area is going to increase due to combining of leases and sacrificing the common barrier zone through amalgamation. The PP/consultant have not obtained CCR for 06 individual mines as per OM dt 30th may 2012 but mentioned incorrect statement & reply. The short video viewed by committee do not reveal the existing 06 mines demarcated locations, barrier zones, plantation, garland drains-settling tank, fencing etc proposed for amalgamation.

In view of above lackings/ noncompliances this proposal can not be recommended for grant of EC amalgamation and forwarded to SEIAA for necessary orders. '

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि SEAC द्वारा इसी प्रकृति के अन्य प्रकरणों में अनुशंसा की है। इसी स्वरूप प्रकरण क्रमांक P2/9842025 में भी SEAC द्वारा EC amalgamation दिये जाने की अनुशंसा की गई है। जब अन्य प्रकरणों में **Amalgamation** की अनुशंसा की गई है तो इसी प्रकरण में किस नियम/प्रावधान के अनुसार **Not Recommend** किया गया है।

SEAC से अनुरोध है कि समान प्रकृति के प्रकरणों में एक समान निर्णय लिया जाना चाहिए। जब **Amalgamation** से खदान के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है एवं बैरियर जोन के लिये भी चारो तरफ स्थान उपलब्ध हो जाता है तो इस प्रकरण का **Appraisal** भी अन्य प्रकरणों की भांति समग्र रूप से किया जाकर स्पष्ट अभिमत दिया जावे। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/545296/2025, Case No. Case No. P2/2101/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of Lease Area - 4.000 ha., for Production Capacity of 50,000 M3/year (Stone - 25000 & M- Sand - 25,000 M3/Year.), at khasra No. Khasra No. - 9/19 S, Village- Kandhai, Tehsil- Guna, Distt. – Guna (M.P.) by Shri Kuldeep Raghuwanshi, R/o- Hariya Naai ka Bagicha Cantt Guna, District-Guna, (M.P,)- 473001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **853वी बैठक दिनांक 16.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 853वी बैठक दिनांक 16.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 8139 दिनांक 01.08. 2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/555382/2025, Case No. P2/2100/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 hectares, for Production Capacity of Khanda - 3,000 m³/year, Boulder 5,000 m³/year & Murrum- Max. 15,000 m³/year, at Khasra No. 2305, 2359 (Govt. land) Village - Tongra Tehsil- Shivpuri, District-Shivpuri (M.P.) by Shri Upendra Singh Yadav, Partner M/s JMK GROUP R/o-Rajpura Road Infront of Radhakrishna Mandir Shivpuri, DistrictShivpuri, M.P – 473551Deemed ToR issued

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **853वी बैठक दिनांक 16.12.2025** में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

""In this case deemed TOR is issued. Since related case is pending before Hon' Supreme court of India, at sub- judicious stage, hence this case shall be considered on decision or any further guidance from M.P. SEIAA"

The committee is of considered opinion that this is legal matter hence, SEIAA may decide how to deal with the case as the ***case is pending before Hon'ble Supreme Court of India, at sub- judicious stage."***

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि Deemed Approval से संबंधित प्रकरणों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसके अनुसार जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं होता तबतक Deemed Approval के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाये, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

साथ ही यह भी सूचित किया जाये कि जब किसी प्रकरण में ToR प्रकरण क्र. P2/831/2024 पर जारी किया गया था तो पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ईआईए प्रतिवेदन के साथ परिवेश पोर्टल पर प्राप्त आवेदन में क्या नया प्रकरण कमांक प्रदान किया जाता है यदि हॉ तो किस नियम के तहत और नहीं तो इस ईआईए के आवेदन में नया प्रकरण कमांक P2/2100/2025 क्यों जारी किया गया अभिमत दें।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. Proposal No.SIA/MP/MIN/534017/2025, Case No. P2/1753/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.50 ha. (As per SEAC recommendation Mineable area is 0.5 ha,), for Production Capacity of 6000 cum per year, at Khasra No. 325/1, Village- Arnyamangir, Tehsil and District-Neemuch (M.P.) by M/s Charbhuja Stone Crusher Company, Gram Arniya Mangir, Tehsil-Neemuch District-Neemuch MP.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **852वी बैठक दिनांक 13.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच द्वारा आदेश क्र. 953 दिनांक 04.07.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/549953/2025, Case No. P2/1107/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.996 ha., for Production Capacity of 150000 Tons per Annum (Stone-60,000 Tons per Annum & M-Sand-90,000 Tons per Annum), at Khasra No. 8/2, 9/2P, 10, 54/2/2, 54/2/1/2, Village- Silauti, Tehsil - Maihar, District - Maihar (M.P.) by Shri Surya Prakash Chaurasiya, Partner, M/s Samruddhi Mines and Minerals Industries, 168, Chopra Colony, P.O. – Maihar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **852वी बैठक दिनांक 13.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मैहर द्वारा आदेश क्र. 118 दिनांक 10.06.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.06.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/553168/2025, Case No. P2/1183/2025 Prior Environment Clearance for Limestone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 25.227 ha. for Production Capacity of 200000 Tons per Annum, at Khasra No. 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 711, 713, 714, 724, 725, 727, 728, 729, 730, 731/1, 731/2 & 732, Village Bhadanpur Tehsil Maihar, District- Satna, (M.P.) by Shri Amit Kumar Rai And Anshuman Rai, Partner, M/s Bhadanpur Dakshin Patti Limestone Mine, Makan No. 79, Katni Road, Ward No. 17, Maihar District Satna, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **852वी बैठक दिनांक 13.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल द्वारा आदेश क्र. एफ 3–276/1993/12/1 दिनांक 03.01.2017 के माध्यम से 50 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त रीवा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13/11/2024 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में कितने वृक्ष है एवं किस प्रजाति के है तथा इनमें से कितने वृक्षों को काटा जायेगा के संबंध में स्पष्ट जानकारी कलेक्टर जिला सतना से अभिप्रमाणित करवाकर 01 माह में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जावे इसके उपरांत ही खनन संक्रियाऐं प्रारंभ की जायेंगी। उक्त शर्त का पालन न किये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

16. Proposal No.SIA/MP/MIN/543185/2025, Case No. P2/1819/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.150 ha., for Production Capacity of Stone– 19,950 cum per year, at Khasra No. 55/1, 55/2, 56/2, at Village- Goradiya, Tehsil-Pandhana, District- Khandwa (M.P.) by Smt. Nagin Bansal R/o- House no-13, Madhav Lal Lakshminarayan Marg Ramkrishan Ganj ward no-18, purani anaj mandi ki pichhe, District- Khandwa (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **852वी बैठक दिनांक 13.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज एवं पी.एम. गतिशक्ति पोर्टल पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड खदानों के विवरण अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान श्री भागचंद नेभनानी के नाम से स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है, जबकि खनिज अधिकारी जिला खण्डवा द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र क्र. 908 दिनांक 11.10.2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है का उल्लेख किया गया है एवं उक्त एकल प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित भी नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत कलेक्टर जिला खण्डवा से उक्त खदान का स्थल निरीक्षण उपरांत 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में कितनी खदानों स्वीकृत/संचालित है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

17. Proposal No.SIA/MP/MIN/521742/2025, Case No. 11010/2023, Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., for Production Capacity of 40002 cum per annum, at Khasra No. 54/1/1, Village-Rampura Chakaldi-Basoda, Tehsil -Rehti District Sehore (M.P.) by Shri Amjad Ali, R/o Ward No. 9, Chandani Garden, Nasrullaganj, Sehore, Madhya Pradesh, 466331

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **852वी बैठक दिनांक 13.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा द्वारा आदेश कमांक 3781 दिनांक 05.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नदी से न्यूनतम 200 मीटर एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/IND1/536566/2025; Case No P2/1025/2024 Prior Environment Clearance for Proposed Standalone Grinding Unit with Cement Production Capacity of 4 Million TPA (2 x 2.0 Million TPA) at Village: Mawan, Tehsil & District: Guna, M.P. by Shri Sanjeew Kumar Singh, Senior Manager, M/s. Ambuja Concrete North Private Limited, Adani Corporate House, Shantigram, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmadabad (Gujrat) 382421.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. यह प्रकरण कि मेसर्स अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या 679/1/6/1 ग्राम मावान, तहसील एवं जिला गुना (मध्य प्रदेश) में Standalone Grinding Unit with Cement Production Capacity of 4 Million TPA (2 x 2.0 Million TPA)स्थापित करने हेतु श्री संजीव कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक, मेसर्स अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड, अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एस.जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद (गुजरात) 382421 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. प्रस्तावित परियोजना एक Standalone Cement Grinding Unit है, यह परियोजना 4.0 MTPA की उच्च उत्पादन क्षमता के अंतर्गत आती है। यह परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 14 सितम्बर 2006 (संशोधित समय–समय पर) के अंतर्गत अनुसूची 3(b) सीमेंट संयंत्र (Cement Plant) श्रेणी के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 3 से 21 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Projects Details	
1.	**Online Proposal No**	**SIA/MP/IND1/5136566/2025.**
2.	**Proposal /Activity Name**	**Shri Sanjeew Kumar Singh, Senior Manager, M/s. Ambuja Concrete North Private Limited, Adani Corporate House, Shantigram, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmadabad (Gujrat) 382421,** *Prior Environment Clearance for Proposed Standalone Grinding Unit with Cement production capacity of 4.0 Million TPA (2 x 2.0 Million TPA) at Khasra No. - 679/1/6/1, Village: Mawan, Tehsil & District - Guna, (M.P.) by M/s. Ambuja Concrete North Private Limited by M/s. Ambuja Concrete North Private Limited. Total Land Area - 32 ha.,* **FoR- EIA Presentation. Cat. : 3(b) Cement Plant.**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	**Project Proposal for**	New (Greenfield Project).
4.	**ToR Status**	➢ ToR Proposal No. SIA/MP/IND1/518298/2025. ➢ ToR Identification No. TO25B1103MP5790038N, File No. P2-1025-2025. ➢ ToR Grant Date Dated 03/02/2025 (Online).
5.	**CTE details.**	PCB ID: 168714, Consent No:CTE-62254, Outward No:122802,22/05/2025, Consent to Establish/NOC up to 30/04/2030
6.	**Total Project Cost**	105900 Lakhs.
7.	**Description of Project.**	M/s. Ambuja Concrete North Private Limited is proposing a Proposed Standalone Unit with Cement production capacity of 4.0 Million TPA (2 x 2.0 Million TPA) at Village: Mawan, Tehsil & District - Guna, Madhya Pradesh.
8.	**Public Hearing Date**	25/04/2025.
9.	**Production Qty. in M^3/Y**	**Cement - 4.0 Million TPA (2 x 2.0 Million TPA).**
	Documentary Details	
10.	**Water requirement**	CGWA NOC dated 5.8.2025
11.	**DFO NOC details**	PP Apply letter submit DFO office, Guna vide letter No. Ref. No.: ACNPL/GUNA/FOREST/05-25/01 dated 26/05/2025 (Online Copy attached).
12.	**Lat/Log.**	Latitude 24°38'20.36"N to 24°38'2.31"N Longitude 77°22'36.89"E to 77°22'9.67"E
13.	**CTO/CTE**	Consent No: CTE-62254, Outward No:122802,22/05/2025, Consent to Establish up to 30/04/2030
14.	**Land Allotment details Agreement**	आवंटन आदेश: MPIDC Gwalior letter No. 5715 date /12/2024).
15.	**Power Requirement & Supply Source**	Dedicated supply line from nearby sub-station at 132 KV / 66 KV switch yard.
16.	**DG Set details**	D.G set of 1250 kVA.
17.	**Greenbelt development & Plantation**	Out of total project area of 32 ha, 10.648 ha (33.2% of total project area) will be developed under greenbelt & plantation.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

18.	**Tree Cutting Commitment**	Undertaking letter given by PP -No Tree cutting at Project site letter dated 11/01/2025.
19.	**Env. Consultant**	Shri Ramesh Yadav, M/s J. M. Environet Pvt. Ltd. (Gurugram) Valid up to 08/07/2026.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 932वीं बैठक दिनांक 27.01.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से xv को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. PP should ensure that all the material/raw material should be kept in closed enclosure/covered area.

ii. All the treated waste water shall be recycled and reused in the processor for dust suppression and green belt development. No process waste water shall be discharged outside the factory premises and 'zero' discharge should be adopted.

iii. PP should install online pollution control monitoring system in the plant premises.

iv. PP should ensure to disposal of solid waste as per CPCB/MPPCB Norms.

v. PP should construct settling tank after proper filter media for rain water harvesting.

vi. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures and energy efficient equipments.

vii. PP should ensure to provide proper traffic management to avoid an accident in front of existing school.

viii. All parking areas of trucks for transportation of raw material and finished products should be properly paved and concreted to reduce dust pollution. The service road & staff road should be developed separately.

ix. Proper parking bays for control of traffic movement within the plant area and plantation be done on the parking bays.

x. Proper Parking facility should be provided for employees & transport used for collection & disposal of waste materials.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

xi. Necessary provision shall be made for fire-fighting facilities within the complex.

xii. PP should organize proper sanitation program in villages situated around the plant area. Besides this PP should construct low cost sanitation in school / education Institution specially for girls.

xiii. PP should plan vocational training and skill development program in higher secondary schools and employment preference can be provided to local youth.

xiv. PP should conduct horticulture awareness training program for villagers to promote orchards for which the margin money and financial support to the villagers should be included in the CSR.

xv. All environmental parameters regarding air & water should be analyzed every year and in case of any deviation from the permissible limit, corrective measures be taken for improvement of environmental conditions.

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

19. Proposal no. SIA/MP/MIN/539544/2025, Case No. 6408/2019Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Manual/Semi Mechanized Method), in an area of 1.00 ha. for production capacity of 28,500 cum per annum at Khasra No. 51/1, 52/1 k, at Village - Berja, Tehsil - Gwalior, Dist. Gwalior (MP) by Shri Matadin Kushwah S/o Late Shri Bhotharam Kushwah, R/o Berja, Tehsil - Murrar, Dist. Gwalior, MP Regarding Transfer EC in the name of M/s Shri Balaji Granite, Partner Shri Virendra Dogra R/oSatyam Residency Tower, Alkapuri, Gwalior, District-Gwalior (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **852वी बैठक दिनांक 13.12.2025** में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Matadin Kushwah S/o Late Shri Bhotharam Kushwah, R/o Berja, Tehsil - Murrar, Dist. Gwalior, MP के नाम Stone Quarry (Opencast Manual/Semi Mechanized Method), in an area of 1.00 ha. for production capacity of 28,500 cum per annum at Khasra No. 51/1, 52/1 k, at Village - Berja, Tehsil - Gwalior, Dist. Gwalior (MP) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s Shri Balaji Granite, Partner Shri Virendra Dogra R/oSatyam Residency Tower, Alkapuri, Gwalior, District-Gwalior (MP) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 4078 दिनांक 22.10.2020 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल का लीज हस्तांतरण आदेश क. 3366–68 दिनांक 14.03.2024 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 21.09.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/549420/2025, Case No. 11323/2024Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of - 2.0 ha. for Production Capacity of Stone (Gitti) 5,000 m3/year & M-sand 10,000 m3/year, at Khasra No.– 36, Village- Arnya Gujar, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur (M.P.) by Shri Ghanshyam Patidar, Proprietor of M/s Jai Mata di Fertilizer, R/o- Chandakhedi Tehsil- Daloda, District- Mandsaur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **852वी बैठक दिनांक 13.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश कमांक 5649 दिनांक 10.05. 2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन'** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 11 वृक्षों में से काटे जाने वाले 08 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 80 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षो के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यो को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 का कार्यवाही विवरण

21. Proposal No.: SIA/MP/MIN/283596/2022, प्रकरण क्र. **9391/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गणेश स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री दीपक शर्मा, निवासी– वार्ड नं. 15, समता नगर, पो. – पेंडरा रोड़, जिला बिलासपुर (छ.ग) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.011 हेक्टेयर, खसरा 745, ग्राम –दोनिया, तह. पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 907वी बैठक दिनांक 30.10.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"..... प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *ऑनलाईन आवेदन के पैरा 8.3 में LOI की वैधत 6 वर्ष बताई गई है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अनूपपुर द्वारा जारी LOI में पट्टा की अवधि 10 वर्ष बताई गई है। आवेदन के पैरा 15 में ग्रीन वेल्ट 0.21 हे. बताया गया है जबकि EMP में 0.19 हे. बताया गया है। माईनिंग प्लान और EMP में पिट एरिया 0.70 हे. बताया गया है जबकि आवेदन के भाग–1 के पैरा 15 में पिट एरिया 0.80 हे. बताया गया है।*
2. *वनमण्डला अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 13.01.2021 द्वारा बताया गया है कि ग्राम दोनिया, तहसील पुष्पराजगढ़ अमरकंटक–अचानकमार बायोस्फियर रिजर्व के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन के लिये श्री लखन गोंड पिता श्री भागरथी गोंड निवासी बाड़ीखर से 15 वर्षों के लिये रू. 1.50 लाख में किराये पर लेने का उल्लेख किया गया है, किन्तु किरायानामा पंजीकृत नहीं है तथा 15 वर्ष बाद भूमि कृषि योग्य नहीं होने पर आदिवासी का भरण पोषण किस प्रकार होगा यह नहीं बताया गया है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 एवं 2 के संबंध में जानकारी व स्पष्टीकरण 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 का कार्यवाही विवरण

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर द्वारा आदेश क्र. 97 दिनांक 24.01.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **ग्रामीण सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

22. Proposal No.: SIA/MP/MIN/540773/2025, Case No 8210/2021 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) in an area of 2.0 ha. for production capacity of 15000 cum per annum at Khasra No. 16/1 at Village - Leelakhadi, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) by Smt. Manjeet Kaur W/o Shri Laal Singh, Junior IG, E-3/19, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP - 452001 Regarding transfer of EC in the name of **M/s Modi Enterprises Prop. Smt. Kalpna Jain R/o B-57, B-Sector, Kamla Nagar, District Bhopal (MP)**

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 913वी बैठक दिनांक 20.11.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"..... प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी एवं ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत की गई पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों अनुसार गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टेक, लीज एरिया में की गई फेसिंग, बैरियर जोन में किये गये वृक्षारोपण एवं CER के तहत किये गये कार्यों के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के प्रस्तुत नहीं किये गये है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त जानकारी के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के साथ 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 30.12.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Smt. Manjeet Kaur W/o Shri Laal Singh, Junior IG, E-3/19, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP - 452001** के नाम **Stone Quarry (opencast semi mechanized method) in an area of 2.0 ha. for production capacity of 15000 cum per annum at Khasra No. 16/1 at Village - Leelakhadi, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (M.P.)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **M/s Modi Enterprises Prop. Smt. Kalpna Jain R/o B-57, B-Sector, Kamla Nagar, District Bhopal (MP)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 का कार्यवाही विवरण

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 7600 दिनांक 24.03.2021 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर का लीज हस्तांतरण आदेश क. 2575 दिनांक 02.07.2024 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 07.09.2031 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 का कार्यवाही विवरण

23. Proposal No.: SIA/MP/MIN/551281/2025, Case No. 2022/2014 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Manual/ Semi Mechanized Method) in an area of 0.95 ha. for production capacity of 7,006 cum/year (As per approved mining plan), at Village-Palasia, Tehsil-Anjad, District- Barwani (MP) by Shri Sanjay Patidar S/o Shri Shobharam Patidar, Village & Tehsil-Anjad, Barwani (MP)-451556 Regarding Transfer of EC in the name of Smt. Sushma Patidar R/o 465, Ghandhi Marg, Word No. 07, Anjad, Dist. Barwani (MP).

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 923वी बैठक दिनांक 22.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"..... उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु फार्म–7 में ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जिसमें अपलोड दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार पाया गया है :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड लीज हस्तांतरण आदेशानुसार लीज का रकबा 2.00 हेक्टेयर से 0.95 हेक्टेयर कर दिया गया है जबकि पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बडवानी द्वार पूर्व में स्वीकृत लीज अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति रकबा 2.00 हेक्टेयर के लिये जारी की गई थी।

*अतः **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत कलेक्टर जिला बड़वानी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त लीज का रकबा 2.0 हेक्टेयर में से 0.95 हेक्टेयर किस कारण किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 30.12.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा **ADS reply** के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri Sanjay Patidar S/o Shri Shobharam Patidar, Village & Tehsil-Anjad, Barwani (MP)-451556** के नाम **Stone Quarry (Opencast Manual/ Semi Mechanized Method) in an area of 0.95 ha. for production capacity of 7,006 cum/year (As per approved mining plan), at Village-Palasia, Tehsil-Anjad, District-Barwani (M.P.)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Smt. Sushma Patidar R/o 465, Ghandhi Marg, Word No. 07, Anjad, Dist. Barwani (MP)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 3909 दिनांक 22.07.2015 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बड़वानी का लीज हस्तांतरण आदेश क. 389 दिनांक 27.02.2025 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 15.05.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

Annex-I

Standard Conditions related to Activity 3 (b) Cement Plant All Stand alone grinding units Category B projects under the Schedule of Ministry of Environment and Forests, GoI Notification dtd 14-09-06

1. Any enhancement of capacity, change in technology, modernization and scope of working shall again require prior environmental clearance as per EIA notification, 2006.

2. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

3. All parameters listed in Environmental Monitoring Plan approved by SEAC must be monitored at approved locations and frequencies.

4. All the commitment made regarding issues raised during the public hearing /consultation meeting shall be satisfactorily implemented. Item-wise details along with time bound action plan should be prepared and submitted to the Ministry's Regional Office at Bhopal. Implementation of such program shall be ensured as office Memorandum dated 18.05.12 of MoEF & CC, GoI and its amendments.

5. The applicant (Project Proponent) will take necessary measures for prevention, control and mitigation of Air, Water, Noise and Land Pollution including solid waste disposal as mentioned by him in Form-1, Final EIA reports and Environment Management Plan (EMP) in compliance with the prescribed statutory norms and standards

6. The project shall comply with the new MoEF & CC standards notified vide GSR 612 (E) dtd. 25.08.2014 with respect to cement sector.

7. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Madhya Pradesh State Environmental Impact Assessment Authority.

8. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transportation of raw material and others shall have valid permissions as prescribed under Central Motor Vehicle Rules, 1989 and its amendments.

9. All major sources of air pollution will be provided with bag filters to maintain particulate matter emissions within permissible limit. No solid waste will be generated in cement manufacturing process. Dust collected from various pollution control equipments will be recycled back into the process. Fly ash will be utilized in manufacturing of PPC grade cement and AAC blocks.

10. Secondary fugitive emission shall be controlled and maintained within the prescribed limits and regularly monitored. Guidelines /Code of practice issued by the CPCB/MPPCB in this regard shall be followed.

11. Regular monitoring of the air quality shall be carried out in and around the plant and records shall be maintained.

12. The gaseous emissions from various process units should conform to the load/mass based standards prescribed by the MoEF & CC and the State Pollution Control Board from time to time. At no time the emission level should go beyond the prescribed standards.

13. Cement grinding shall be carried out in closed cement mill. Further, provision of dust extraction and pollution control system consisting of highly efficient Bag Filters and ID Fan should be provided for Cement Mill, Clinker Silo, Fly Ash Storage Silo, Cement Silo, Wagon and Gypsum Crushing Plant with adequate stack height. Stack emissions shall be monitored at regular intervals and records maintained.

14. Transportation of fly ash to the plant should be brought through closed / covered tankers and stored in silo without any air pollution at transfer point.

15. Regular water sprinkling should be done on the roads inside the plant and other high potential areas to control the fugitive dust emission.

16. Suction head should be provided at all transfer dust emission.

17. Groundwater shall not be abstracted without prior permission of competent authority Le., Central Ground Water Authority.

18. Process effluent discharge is not permitted. No waste water will be generated from production process by adoption of dry grinding process. Cooling water will be recycled in the process, if any.

19. All the pollution control devices/equipment in the grinding unit shall be interlocked so that in the event of the pollution control devices/system not working, the respective unit (s) shut down automatically.

20. Clinker manufacturing at plant site is not permitted under this environmental clearance.

21. Solid waste viz dust generated shall be properly recycled and reutilized in the process itself.

22. Regular monitoring of influent and effluent, surface, sub-surface and ground water should be ensured and treated waste water should meet the norms prescribed by the MPPCB or described under the Environment (Protection) Act, 1986 whichever are more stringent..

23. Triple storied green belt shall be developed in at least 33% area in and around the cement plant as per CPCB guidelines to mitigate the effects of air emissions in consultation with local DFO.

24. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project

25. Ambient noise level should not exceed the permissible limit. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under EPA Rules, 1989 viz. 75 dB (A) (daytime) and 70 dB (A) (night-time) and its subsequent amendments.

26. All internal roads should be concrete /pitched / paved. Proper lighting and proper pathway inside the factory premises should be constructed to ensure safe vehicular movement. Provision of separate pathway for entry and exit of vehicles should be considered. Vehicles should conform to pollution under control (PUC) norms. Proper House Keeping shall be maintained within the premises. Solar lighting should be used as far as practicable.

27. Health and safety of workers should be ensured. Workers should be provided with adequate personnel protective equipment and sanitation facilities. Occupational Health Surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

28. Adequate measures to be adopted to ensure Industrial safety.

29. The implementation and monitoring of Environmental Management Plan should be carried out, as proposed.

30. The natural drainage pattern in the project area shall be maintained and storm water drain along the boundary and appropriate places shall be provided to collect runoff water/rain water for proper disposal to avoid water stagnation/ ponding within the project site.

31. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.

32. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. Agencies from time to time.

33. The funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and shall not be diverted for other purpose. Year wise expenditure shall be reported to the MoEF & CC, GoI, and its Regional Office, Bhopal.

34. The Regional Office, MoEF & CC, GoI, Bhopal & MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report, Environmental Management Plan, and Environmental Monitoring Plan as approved by SEAC should be submitted to Regional Office, MoEF & CC, GoI, Bhopal & MPPCB within six months.

35. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during public hearing consultation shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC, GoI, Bhopal, MP PCB within six months.

36. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies (Panchayat and Municipal Bodies), District Collector and DFO as applicable and responsible for controlling the proposed projects who in tum has to display the same for 30 days from the date of receipt.

37. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the MoEF & CC, GoI and State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.enviornmentclearance.nic.in & www.mpselaa.nic.in & and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF & CC, GoI, Bhopal.

38. The Project Proponent has to submit half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copy to the Regulatory Authority, viz. CPCB, MPCB and Regional office of MoEF, GoI at Bhopal on 1 June and 1 December of each calendar year.

39. Full Cooperation should be extended to the Officers and staff from the Ministry and its Regional Office at Bhopal/the CPCB/the SPCB during monitoring of the project.

40. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

41. These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and control of

Pollution) Act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 along with amendments and rules.

42. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

43. The Environmental Clearance shall be valid for a period of five years from the date of issue EC as per EIA Notification, 2006 Para 9.

44. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

45. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF & CC, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely: SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company in the public domain.

46. The environmental statement for each financial year ending 31 March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF & CC, GoI.

47. The project authorities shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of the project.